न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 58/2018

डूंगरराम पुत्र मामराज जाति नायक निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। --अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। --रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 01.02.2008

उपस्थिति :-

श्री मनोहरलाल अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अनूपगढ के समक्ष पेश कर कथन किया कि चक कमराना के ख.नं. 67 व 66 की 50 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटन चली आ रही है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः उक्त भूमि टी.सी. से पुख्ता आवंटन की जावे। प्रा.पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने दिनांक 07.09.2007 को पत्रावली कायम कर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखने के आदेश दिये तत्पश्चात दिनांक 01.02.2008 को प्रार्थी का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी पुख्ता आवंटन करवाने का पात्र नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रा.पत्र गुण दोष पर नहीं जाकर राजनीतिक दबाब में आकर खारिज किया गया है। अपीलांट आवंटन की

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

पात्रता रखता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में अपीलांट उपस्थित था। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वह पुख्ता आवंटन करवाने का पात्र नहीं था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 01.02.2008 के विरूद्ध दिनांक 09.05.18 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट ने अपनी अपील में अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खण्डन स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। इसके अलावा अस्थाई काश्त का लगातार नवीनीकरण अपीलांट के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है साथ ही मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर